सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

निगरानी सं0 12/2017

राजेन्द्र पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0 ... प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीछा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बीछा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
2. सचिव ग्राम पंचायत बीछा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा ...अप्रार्थी

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 11.09.2017 ग्राम पंचायत बीछा जो कि निगरानीकार को जरिए नोटिस क्रमांक 140 पर भेजी गई है।

उपस्थितः 1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री अभय शंकर शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार

निर्णय दिनांक 06.12.17

संक्षिप्त विवरण निगरानी इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, बीछा पंचायत तहसील रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थी/निगरानीकार राजेंद्र को दिनांक 11.09.2017 को जरिए नोटिस क्रमांक 140 द्वारा आम रास्ते पर किये जा रहे अतिक्रमण को हटाने बाबत भेजा गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगानीकार द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस में दलील है कि ग्राम पंचायत बीछा ने ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 83 में अरसा लगभग 40–50 वर्षो पूर्व से ही अपने बुजुर्गान के समय से ही रह रहा है तथा उक्त आबादी भूमि खसरा नम्बर 83 में निगरानीकार का 10 बिस्वा भूमि पर छप्परपोश, कच्चा घर बाडे आदि बने हुए है। जिनमें निगरानीकार अपने परिवारजन सहित निवास करते चले आ रहा है। उक्त आबादी भूमि में निगरानीकार के साथ ग्राम बीलका की कई आबादी बसी हुई है जिनमें कई व्यक्तियों द्वारा कच्चे, पक्के मकान बने हुए है। निगरानीकार अपने उक्त भूखण्ड में अपने बुजुर्गो के जमाने से पूर्व से निवास करते आ रहे है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के लगभग 15 ट्रोली पत्थर पूर्व से ही डले हुए है तथा उक्त भूखण्ड पर ही प्रार्थी निगरानीकार के वर्षो पुराने कच्चे घर जो जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में हो चुके है आज भी स्थित है एवं निगरानीकार के उक्त जीर्ण क्षीर्ण कच्चे घरो को दुरूस्त करने के लिए निगरानीकार द्वारा उक्त पत्थरो से बनाया जाना प्रस्तावित है एवं ग्राम की उक्त आबादी भूमि में ही कई व्यक्तियों के कच्चे पक्के मकान स्थित है जिनके पास भी किसी प्रकार के स्वामित्व के दस्तावेजात नही है एवं आबादी भूमि में आने जाने के लिए कई रास्ते मौके पर मौजूद है। परन्तु निगरानीकार कुछ समय से राजनैतिक रंजिश एवं ईर्ष्यालु एवं झगडालू लोगों से परेशान है जो कि निगरानीकार के खिलाफ येनकेन प्रकरण हैरान परेशान करने की गरज से निगरानीकार को उक्त भूखण्ड से जबरन बेदखल कर कब्जा करने का असफल प्रयास करने लग गये है। गैर निगरानीकार से मिलकर झूठी शिकायतो के आधार पर ग्राम पंचायत बीछा के सरपंच द्वारा अविधिक नोटिस दिलवाये जा रहे है। इसी कडी में गैर निगरानीकार संख्या 01 द्वारा निगरानीकार को एक नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.09.2017

...थ्यों को अंकित करते हुए भिजवाया गया जिसमें अंकित किया गया है उक्त सूचना पत्र ... आपस मे अवैध एवं गैर कानूनी है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ... द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.09.17 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार की बहस में दलील है कि ग्राम पंचायत बीछा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.09.17 विधि प्रक्रिया एवं नियमों के आधार पर जारी किया गया है। निगरानीकार का ग्राम पंचायत की भूमि पर नाजायज कब्जा चला आ रहा है उसकी आड में जबरन पत्थर डालकर अवैध अतिक्रमण करने पर आमादा है। इस संबंध में निगरानीकार द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा में भी उक्त नोटिस के विरुद्ध निगरानी करने पर दिनांक 09.10.2017 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। तत्पश्चात ही प्रकरण का निर्णय किया जाकर अब विधिक कार्यवाही की जा रही है। निगरानीकार द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में भी प्रकरण को स्थानांतरण करवाने हेतु प्रा0 पत्र दाखिल किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 09.10.17 को श्रीमान् द्वारा प्रा0 पत्र खारिज किया जा चुका हैं निगरानीकार येन केन प्रकारेण बार–बार प्रकरण को बे–वजह लंबित रखते हुए चलाना चाहते है। जबकि उनका उक्त भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलीं का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत बीछा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.09.17 हरिनारायण पुत्र गोरधन शर्मा एवं राजेंद्र पुत्र हरिनारायण शर्मा के नाम से इस आशय का भिजवाया गया कि "आप द्वारा मुख्य ग्राम स्थित मंदिर के सामने आम रास्ते पर पत्थर डालकर आम रास्ता बंद कर दिया गया है। आप द्वारा आम रास्ते में पत्थर डालकर किया जा रहा अतिक्रमण अवैध एवं गैर कानूनी है। उक्त स्थान का आपके पास कोई पट्टा अथवा अन्य कोई दस्तावेज हो तो ग्राम पंचायत कार्यालय में पेश करें।" ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त नोटिस के विरुद्ध निगरानीकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की गई हैं। चूँकि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार को उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी को मौका देकर सुनवाई निश्चित की गई हैं जिसके संदर्भ में निगरानीकार को यहाँ आने के बजाय प्रथमतः ग्राम पंचायत में अपना पक्ष रखना चाहिए और उनके पास कोई विधिक अधिकार उक्त भूमि का हो, तो ग्राम पंचायत के समक्ष रखना चाहिए। किंतु निगरानीकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर पंचायत द्वारा जारी नोटिस के विरुद्ध निगरानी पेश की गई है। जो किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होती है।

ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम–165 (3) की शक्तियों के अनुसरण में निगरानीकार को नोटिस जारी किया गया जो वैधानिक एवं विधिनुसार है। जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश ही नहीं है। निगरानीकार अपने उक्त भूखण्ड में अपने बुजुर्गो के जमाने से पूर्व से निवास करते आ रहे होना बताया है। आबादी भूमि में बिना किसी वैधानिक अधिकार के रहने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है बल्कि वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस यथावत रखा जाता है। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official